न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–16/2014 (2014/00115) वाद पत्र

अनवान

1–भैरूलाल पिता कजोड़ ढोली निवासी टोकरा मृतक के बजाय
1/1–भुपेन्द्र पिता भैरूलाल ढोली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2–धमेन्द्र पिता भैरूलाल ढोली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3–गोविन्द पिता भैरूलाल ढोली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/4–सुशीला पुत्री भैरूलाल ढोली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/5–लाली पुत्री भैरूलाल ढोली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/6–इन्द्रा पुत्री भैरूलाल ढोली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/7–प्रकाश पिता भैरूलाल ढोली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/8–दुर्गादेवी पत्नि भैरूलाल ढोली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/9–हेमा पुत्री भैरूलाल ढोली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–हजारी पिता रूपा कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1–डालु पिता हजारी कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–मगना पिता रूपा कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
2/1–प्रेमी पत्नि मगना कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–गोपी पिता रूपा कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–लेहरू पिता छोगा कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–प्यारचन्द पिता छोगा कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–नानालाल पिता छोगा कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–दुर्गालाल पिता छोगालाल कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–कमली पुत्री छोगालाल कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9–कचंन पुत्री छोगालाल कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10–लाली पुत्री छोगालाल कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11–चन्द्रप्रकाश पिता रतनलाल ब्राह्म्ण निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद– अधिवक्ता वादीगण
2. महेश दाद्यीच – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:46:31 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः–28.12.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के स्वामीत्य एवं कब्जेयाबी की भूमि मौजा टोकरा की आराजी नम्बर 72 रकबा [illegible] बिस्वा, आराजी नम्बर 73 रकबा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 75 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा मौजा टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर 65–70 वर्षों से अब तक कब्जे काश्त में चली आ रही है। जिसके नवीन नम्बर 120 रकबा 0.50 है,

कायम हुये है। उक्त आराजी कुलिया को वादीगण ने भूमि मालिक स्व० श्री भुरालाल पिता बालकिशन ब्राम्हण माफीदार निवासी मानकीयावास के पुत्र रतनलाल पिता भुरालाल जी ब्राम्हण से जरिये पट्टा बिल एवज मुबलिंग रूपये कीमतन अदा कर पट्टा प्राप्त किया तब से उक्त भूमि वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त आराजी राजस्व जमाबन्दी ग्राम टोकरा में मिशल बन्दोबस्त सम्वत 1984 के खसरा संख्या 72, 73, 75, 87 व 91 किता 5 कुल रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा खाता संख्या 78 में खातेदार भुरालाल ब्राम्हण दर्ज है। आराजी नम्बर 87 व 91 मे प्रतिवादीगण के पूर्वज रूपा व कुशाल सिजारे काश्त करते थे जो उक्त भूमि के मालीक नहीं होकर सिजारी थे तथा राज्य सरकार के आदेश दिनांक सन् 1958 के अनुसार उन्हें पटवारी हल्का ने विधि विरुद्ध तरीके से सिकमी कास्तकार मानते हुये गलती से खातेदारी हक प्रदान कर दिये यह खातेदारी अधिकार प्रतिवादीगण के सिंजारी कास्त की भूमि खसरा नम्बर 87 व 91 में ही देने चाहिये थे। इसी भुमि पर सिंजारी का कास्त कब्जा था अन्य आराजी नम्बर 72, 73, 75 पर कब्जा काश्त सिजारी का नहीं था। राजस्व कर्मचारी की गलती से खसरा नम्बर 72, 73, 75 जो कि वादीगण खातेदारी टेनेन्ट से खरीद शुदा था तथा उसका वादीगण के पास पट्टा था तथा उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा—काश्त था। उस भूमि को प्रतिवादीगण के पूर्वज दुदा व कुशाल के नाम गलत नामान्तरणकरण संख्या 94 भरकर खातेदारी में दर्ज कर लिया गया उक्त भूमि पर आज तक निर्बाध रूप से कब्जा—काश्त व मालिकाना हक वादीगण का ही चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 72 व 73, 75 जो प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम गलत दर्ज हो जाने की वजह से वादीगण ने आपसी सहमती से तत्कालीन खातेदार रूपा से उक्त आराजी बिल एवज मुबलिंग रूपये 50 / —पच्चास रुपये मे जरिये अनरजिस्टर्ड सेलडीड के खरीद किया जिसकी लिखतम की गई कब्जा काश्त इससे पूर्व से वादीगण का ही चला आ रहा है। उक्त भूमि 50 / —रूपये मे जरिये बैचान मोहन व भैरुलाल के खरीद करने पर ग्राम पंचायत गलवा ने जरिये नामान्तरण संख्या 363 दिनांक 18 / 07 / 1981 को मोहन व भैरू पिता पेमा ढोली के खातेदारी दर्ज की गई जिसकी अपील हजारी, छोगा, मंगना, गोपी पिता रूपा कुम्हार ने श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय गंगापुर में प्रस्तुत की तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामान्तरण संख्या 363 बाबत आराजी नम्बर 72, 73, 74 कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा विरुद्ध ग्राम पंचायत के आदेश निर्णय पारीत कर नामान्तरण संख्या 363 को खारीज कर पत्रावली रिमाण्ड कर पुनः जॉच व निर्णय हेतु तहसीलदार साहब रायपुर को भिजवा दी गई इस आदेश व निर्णय के विरुद्ध वादीगण द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर में अपील संख्या 64 / 2000 प्रस्तुत की गई जिसका निर्णय दिनांक 27 / 11 / 2003 को वादीगण के पक्ष में हुआ एंव तहसीलदार सहाड़ा का आदेश दिनांक 31 / 07 / 2000 निरस्त कर दिया न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के फैसले की अपील संख्या 803 / 2004 प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की जिसका निर्णय दिनांक [illegible] जिसमे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के निर्णय को निरस्त कर तहसीलदार [illegible] के आदेश दिनांक 31 / 07 / 2000 को पुनः बहाल कर दिया इससे [illegible] राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 29 / 05 / 2012 प्रकरण [illegible] उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पिटीशन संख्या 12090 / 2012 [illegible] विचाराधीन होकर चल रही है। वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादीगण का सम्वत 2004 से आज दिन तक लगातार निर्बाध रूप से आराजी नम्बर 72, 73, 75 पर चल रहा है जिससे वादीगण को उक्त भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:46:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण के विरुद्ध विरोधी आदित्य से खातेदारी अधिकार उद्भुत हो गये हैं तथा कानुनन भी वादी का भूमि पर वैध आदिपत्य रहा है तथा राजस्व मण्डल द्वारा नामान्तरणकरण अपील में दिये गये निर्णय में भी खातेदारी अधिकारों के अर्जन हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद लाने का हवाला दिया है क्यों कि नामान्तरणकरण प्रक्रिया एक फिस्कल प्रोसिडिंग है। जो हक अधिकारों पर घोषणा करने में सक्षम नहीं है इसलिये यह वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु पेश किया जा रहा है। तथा प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में दखल नही करे, भुमि में अतिक्रमण नहीं करे एंव वादीगण से वादग्रस्त आराजी का कब्जा नहीं छिने वादग्रस्त आराजियात को अन्यन्त्र ट्रान्सफर रहन, बय इत्यादी नही करें इस हेतु उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत है। अत वादी की सादर प्रार्थना है कि वादीगण को वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 73, 73, 75 जिसके नवीन नम्बर 120 रकबा 0.50 है० कायम हुए जिसके खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री सादर फरमाई जावे। प्रतिवादीगण वादी के आधिपत्य की आराजियात में अनाधिकार प्रवेश नही करे, कब्जे काश्त नही छिने एवं वादी के शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग में दखल नही करे व रहन, बय, बक्षीस नही करे, इस हेतु प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। समन की पालना में विपक्षी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 व्यवहार प्रंकिया संहिता पेश कर निवेदन किया कि भैरू ढोली बनाम हजारी वगैरा का एक वाद न्यायालय आप में विचाराधीन है जिसमें आज तारीख पेशी 07.03.2019 नियत है। उक्त प्रकरण में राजस्व मण्डल के आदेश से हजारी गोपी पिता रूपा वगैरा के नाम भूमि दर्ज रेकार्ड हुई है। उक्त प्रकरण में वादवर्णित आराजियात के लिये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रीट नम्बर 12090/2012 विचाराधीन है जिसकी तारीख पेशी 12.02.2019 की है जिसमें वादी व प्रतिवादी पक्षकार है। उक्त रीट व वाद में समान आराजियात व समान पक्षकार के मध्य वाद एवं रीट विचाराधीन है जिससे उक्त वाद पोषणीय नही है। उक्त प्रकरण में उच्च न्यायालय में रीट विचारीधीन होते हुए भी वादी ने पश्चातवर्ती वाद पेश है जिससे रीट याचिका के निर्णय तक उक्त वाद में कार्यवाही रोकी जाना आवश्यक है। अगर दोनो प्रकरणो में अलग अलग निर्णय होते तो कानूनी बाधा पेदा हो जायेगी जिससे ताफैसला रीट याचिका की कार्यवाही /निर्णय तक उक्त वाद की कार्यवाही स्थगित की जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगणो के सम्पर्क में आने व पेशी पर उपस्थित होने हेतु सूचना दी गई और समाचार देने पर भी सम्पर्क नही किया जिससे इस प्रकरण में पैरवी करने में असमर्थ रहूँगा। उक्त नोटिस दिनांक 26.08.2021 को रेकार्ड पर लिया गया जिससे प्रतिवादीगणो के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का निर्णय लिया गया।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई

वादी अधिवक्ता द्वा[illegible] धारा 10 का जवाब पेश नही कर सीधी बहस की गई जिसमें निवेदन किया कि [illegible] उच्च न्यायालय में वादी द्वारा जो याचिका पेश कर रखी है उसको [illegible] 06.10.20[illegible] विड्रा कर ली गई है और उसकी प्रति पेश कर दी गई है। इस [illegible] से सम्बधित अन्य किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरध विचाराधीन नही है। वाद [illegible]दारी घोषणा का है जो इसी न्यायालय का क्षैत्राधिकार से सम्बधित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:46:31 IST
Reason: SelfAttested

मैने पत्रावली का अवलोकन किया वादपत्र में वर्णित तथ्यो एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 के सम्बन्ध में अवलोकन कर मनन किया तो पाया कि वादवर्णित आराजियात से सम्बधित वादी एवं प्रतिवादीगणो के मध्य राजस्थान उच्च न्यायालय में रीट संख्या 12090/2012 जो विचाराधीन थी वो वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता के दिनांक 06.10.2021 को विड्रा कर ली गई। विड्रा आदेश की प्रति वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है। प्रस्तुत प्रकरण में साबिक आराजी संख्या 72, 73, 75 कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि जिसके नवीन खसरा नम्बर 120 रकबा 0.50 है0 दर्ज रेकार्ड है उक्त भूमि जरिये अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के वादीगणो के पूर्वजो के द्वारा क्रय की गई है। उक्त अनरजिस्टर्ड दस्तावेज पर मुकदमा संख्या 281/80 दिनांक 18.12.1980 के अनुसार कमी स्टाम्प 3 रूपये, तावान राशि 5 रूपये, और पेनल्टी 3 रूपये इस प्रकार कुल 11 रूपये वसूल करने का आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा का होने से उक्त रकम चालान संख्या 119 दिनांक 23.12.1980 से राजकोष में जमा हो चुके है जिससे उक्त अरजिस्टर्ड दस्तावेज पुरे स्टाम्प पर माना जाने का इन्द्राज अतिरिक्त जिलाधीश महोदय भीलवाड़ा का इन्द्राज है। उक्त विक्रय को पूर्ण स्टाम्प पर माना गया है जिससे वादवर्णित भूमि वादीगण की क्रय शुदा भूमि है जो प्रदर्श 1 एवं 2 से प्रमाणित है और मौके पर कब्जा भी वादीगण के पूर्वजो का होना पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड से प्रमाणित है। उसी अनुसार भूमि वादीगण के पूर्वज मोहन भैरू पिता पेमा ढ़ोली के नाम संवत 2038 से 2041 में दर्ज हुई है। जो रेकार्ड प्रदर्श 3, 4, 5, 6 से प्रमाणित है और साबिक नम्बरो के नवीन नम्बर दर्ज हुए जिसके मिलान क्षैत्रफल की प्रति प्रदर्श 7 है और इसी के साथ अन्य दस्तावेज पेश किये जो प्रदर्श 1 से 10 है।

उपरोक्त विवरण अनुसार मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वादवर्णित भूमि वादीगणो की क्रयशुदा भूमि है मौके पर क्रेता का कब्जा है तथा इस भूमि से सम्बधित अन्य किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नही है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम टोकरा पटवार हल्का गलवा तहसील रायपुर में वादवर्णित आराजी संख्या 120 रकबा 0.50 है0. भूमि के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर प्रतिवादीगणो के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादी के आधिपत्य एवं स्वामित्व के आराजियात में अनाधिकृत प्रवेश नही करे न कब्जे काश्त में वादीगण को दखल न तो स्वयं करे न अन्य करावे। उक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:46:31 IST
Reason: SelfAttested

28.12.2021
(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6—7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—16/2014 (2014/00115) वाद पत्र

अनवान

1—भैरूलाल पिता कजोड़ ढोली निवासी टोकरा मृतक के बजाय
1/1—भुपेन्द्र पिता भैरूलाल ढोली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2—धमेन्द्र पिता भैरूलाल ढोली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3—गोविन्द पिता भैरूलाल ढोली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/4—सुशीला पुत्री भैरूलाल ढोली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/5—लाली पुत्री भैरूलाल ढोली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/6—इन्द्रा पुत्री भैरूलाल ढोली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/7—प्रकाश पिता भैरूलाल ढोली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/8—दुर्गादेवी पत्नि भैरूलाल ढोली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/9—हेमा पुत्री भैरूलाल ढोली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—हजारी पिता रूपा कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1—डालु पिता हजारी कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—मगना पिता रूपा कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
2/1—प्रेमी पत्नि मगना कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—गोपी पिता रूपा कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—लेहरू पिता छोगा कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—प्यारचन्द पिता छोगा कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—नानालाल पिता छोगा कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—दुर्गालाल पिता छोगालाल कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—कमली पुत्री छोगालाल कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—कचंन पुत्री छोगालाल कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—लाली पुत्री छोगालाल कुम्हार निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—चन्द्रप्रकाश पिता रतनलाल ब्राह्म्ण निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम टोकरा पटवार हल्का गलवा तहसील रायपुर में वादवर्णित आराजी संख्या 120 रकबा 0.50 है0, भूमि के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर प्रतिवादीगणो के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादी के आधिपत्य एवं स्वामित्व की आराजियात मे अनाधिकृत प्रवेश करे न कब्जे काश्त में वादीगण को दखल न तो स्वयं करे न अन्य करावे। उक्त भूमि वादीगण के [illegible] दर्ज [illegible] जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 28.12.2021 को न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:46:31 IST
Reason: SelfAttested

28.12.2021
(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा